भारत सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *101

दिनांक 28.07.2021 को उत्तरार्थ

दिव्यांग महिलाओं को शिशु देखभाल भत्ता दिया जाना

101# श्री नीरज डांगी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिव्यांग महिलाओं को शिशु देखभाल भत्ते का भुगतान करती है ;

(ख) यदि हां, तो इस भत्ते के अन्तर्गत कितनी राशि का भुगतान किया जाता है, इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई और विगत तीन वर्षों के दौरान इस भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की गई ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि का राजस्थान के जिलावार ब्यौरे सहित राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार के राजकोष पर कितना वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मत्रालय
(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"दिव्यांग महिलाओं को शिशु देखभाल भत्ता दिए जाने" के संबंध में दिनांक 28.07.2021 को उत्तरार्थ श्री नीरज डांगी द्वारा उठाए गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 101 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संदर्भ में विवरण

(क) और (ख) यह मंत्रालय दिव्यांग महिलाओं को शिशु देखभाल भत्ता प्रदान करने के लिए कोई योजना लागू नहीं करता है। हालांकि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूचित किया है कि केंद्र सरकार में कार्यरत दिव्यांग महिलाओं (जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है) को 3000/- रुपये प्रतिमाह शिशु देखभाल भत्ता दिया जाता है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप, दिव्यांग महिला कर्मचारियों के लिए शिशु देखभाल भत्ते की दर को दिनांक 1 जुलाई, 2017 से 1500/- रुपये से बढ़ाकर 3000/- रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यह भत्ता बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे की उम्र दो साल होने तक देय है। संशोधित वेतन ढांचे(पे स्ट्रक्चर) पर महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होने पर उपर्युक्त भत्ते में हर बार 25% की वृद्धि स्वतः ही हो जाती है। यह भत्ता अधिकतम दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए देय है। यह केंद्र सरकार में राजस्थान सहित भारत के किसी भी स्थान पर कार्य कर रहीं दिव्यांग महिलाओं के लिए लागू है।

(ग) और (घ): उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

*****